

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम पीपलू
जगदीश प्रसाद वगै० बनाम तहसीलदार पीपलू
किस्म मुकदमा-प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट.
प्रकरण संख्या 66 सन् 2025

20/25/214

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
09/25	<p>पत्रावली रिपोर्ट होकर पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर तलबी समन प्रतिपक्षी जारी हो। पत्रावली दिनांक 19.05.2025 को पेश हो।</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>उप खण्ड अधिकारी पीपलू (लॉक)</p> <p>19/25 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी/पत्रावली अधिवक्ता/पी.ओ साहब राजकार्य में अस्त/ अवकाश पर/स्थानान्तरित होने के कारण पत्रावली पर आवेशिका अनुसार दिनांक 26.05.25 पेश हो।</p> <p><i>[Signature]</i></p>	
26/25	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उप। तलबी नोटिस प्राप्त। प्रतिपक्षी की तलबी हो चुकी है। तहसीलदार पीपलू से रिपोर्ट आने की जाने। पत्रावली दिनांक 30.05.25 को पेश हो।</p> <p><i>[Signature]</i></p>	
30/25	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी/पत्रावली अधिवक्ता/पी.ओ साहब राजकार्य में अस्त/ अवकाश पर/स्थानान्तरित होने के कारण पत्रावली पर आवेशिका अनुसार दिनांक 25.06.25 पेश हो।</p> <p><i>[Signature]</i></p>	
20/25	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उप। पत्रावली वाली तरफ रिपोर्ट दिनांक 25.06.25 को पेश हो।</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>25/25 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी/पत्रावली अधिवक्ता/पी.ओ साहब राजकार्य में अस्त/ अवकाश पर/स्थानान्तरित होने के कारण पत्रावली पर आवेशिका अनुसार दिनांक 14/7/25 पेश हो।</p> <p><i>[Signature]</i></p>	

14²⁵

पत्रबन्दी पत्र हुई। अधिवक्ता वकील/प्राची
व्यवस्था/पीओ साहब राजकार्य में व्यस्त/
अपकरण पर/स्थानान्तरित होने के कारण
पत्रबन्दी। त आदेशिका अनुसार दिनांक
11-08-25 पेश हो।

11⁰⁸/
25

पत्रबन्दी पत्र हुई। अधिवक्ता वकील/प्राची
व्यवस्था/पीओ साहब राजकार्य में व्यस्त/
अपकरण पर/स्थानान्तरित होने के कारण
पत्रबन्दी। त आदेशिका अनुसार दिनांक
16-09-25 पेश हो।

Ram

16⁰⁹/
25

पत्रबन्दी पत्र हुई। अधिवक्ता वकील/प्राची
व्यवस्था/पीओ साहब राजकार्य में व्यस्त/
अपकरण पर/स्थानान्तरित होने के कारण
पत्रबन्दी। त आदेशिका अनुसार दिनांक
01-10-2025 पेश हो।

Ram

01¹⁰/
25 पत्रबन्दी पत्र हुई। अधिवक्ता प्राची व पक्षकार
अनुपस्थित रहे। बार-2 आवाजे लगायी गई, परन्तु
कोई उपस्थित नहीं हुआ। अन्तिम आवाज समय:
5:00 बजे लगायी गई। अधिवक्ता प्राची व पक्षकार
अनुपस्थित रहे। आतः पत्रबन्दी अफस धाकरी अफस
पेकी में खारिज की जाती है। पत्रबन्दी निर्णित
सुमार होकर दूसरे दायित हो जे निचमानुसार
नम्बर से कम है।

उप खण्ड अधिकारी

पीपलू (टॉक)